राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.9(01) राज/वाद/88 पार्ट--II जयपुर दिनांकः 4/12/2023

::आदेश::

माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा त्यागपत्र दिया जाकर स्वीकृत हो चुका है व अन्य अतिरिक्त महाधिवक्तागण से भी त्यागपत्र प्राप्त हो रहे है, इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे त्याग पत्र स्वीकृत होने अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक, के लिये यथावत पैरवी करते रहेंगे तथा जिन अतिरिक्त महाधिवक्तागण द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य किया जा रहा है, वे अग्रिम आदेश तक यथावत कार्य करेंगे।

ह०-
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि विभाग।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. लेखा शाखा, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
9. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

04/12/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि